न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 356 सन 2021
अनवान :–

1. मनरूप पुत्र धनपत जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 26/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 47.10 बीधा खसरा न0 22 की 6.14 बीधा कुल 54.04 बीधा भूमि जो जगदीश मनरूप पि0 धनपत , महावीर कृष्ण पि0 धनपत , निहालसिह जयप्रकाश पुत्र धनपत जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा खातेदार काश्तकार दर्ज थी

उक्त रोही मौजा ललानाबास दिखनादा की कुल 54.04 बीधा भूमि का सभी सहखातेदारों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया जिसमें वादी के हिस्से में रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा भूमि हिस्सा में आई जो रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 135/10 के खसरा न0 17 मीन की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा दर्ज हो गई।

रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 145/135 की नही जमाबन्दी तेयार करते समय वादी की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा भूमि के स्थान पर 2.0840हैक भूमि दर्ज कर दी जबकि वादी के नाम 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा अर्थात 2.336हैक भूमि दर्ज होनी चाहिये थी।

वादी के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा अर्थात 2.336हैक भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया किन्तु आदिनांक तक संशोधन नही करने पर वाद पेश किया गया है।

अतः वादी को खाता विभाजन में प्राप्त 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा अर्थात 2.336हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 47.10 बीधा खसरा न0 22 की 6.14 बीधा कुल 54.04 बीधा भूमि जो जगदीश मनरूप पि0 धनपत , महावीर कृष्ण पि0 धनपत , निहालसिह जयप्रकाश पुत्र धनपत जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा खातेदार काश्तकार दर्ज थी

उक्त रोही मौजा ललानाबास दिखनादा की कुल 54.04 बीधा भूमि का सभी सहखातेदारों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया जिसमें वादी के हिस्से में रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा भूमि हिस्सा में आई जो रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 135/10 के खसरा न0 17 मीन की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा दर्ज हो गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 145/135 की नही जमाबन्दी तेयार करते समय वादी की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा भूमि के स्थान पर 2.0840हैक भूमि दर्ज कर दी जबकि वादी के नाम 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा अर्थात 2.336हैक भूमि दर्ज होनी चाहिये थी।

वादी के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा अर्थात 2.336हैक भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार पूर्व में वाद भूमि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 47.10 बीधा खसरा न0 22 की 6.14 बीधा कुल 54.04 बीधा भूमि जो जगदीश मनरूप पि0 धनपत , महावीर कृष्ण पि0 धनपत , निहालसिह जयप्रकाश पुत्र धनपत जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा खातेदार काश्तकार दर्ज थी।

वादी ने अन्य सहखातेदार जो एक ही परिवार के सदस्य थे ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया गया था जिसमें वादी के हिस्से में रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खसरा 146/157 के खसरा न0 17 मीन की कुल 9 बीधा 4–2/3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई जो वादी के द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण से स्पष्ट है।

वादी का कथन है कि वादी को खाता विभाजन के उपरान्त रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 9 बीधा 4–2/3 बीधा भूमि प्राप्त हुई की आगामी जमाबन्दी बनाते समय भूमि हैक्टयर में दर्ज करते समय 2.0840हैक दर्ज कर दी अर्थात वादी के नाम कम भूमि दर्ज कर दी जबकि वादी के नाम हैक्टयर में दर्ज करते समय 2.336हैक भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबतों से यह साबित है कि वादी को खाता विभाजन के उपरान्त रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 17 की 9 बीधा 4–2/3 बीधा भूमि प्राप्त हुई थी इतनी भूमि ही वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है किन्तु वादी के नाम आगामी जमाबन्दी बनाते समय हैक्टयर में परिर्वतन कर 2.0840हैक भूमि दर्ज कर दी जबकि वादी के नाम 2.336हैक भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी सहवन से राजस्व रिकार्ड बनाते समय त्रुटी हुई है जो संशोधन योग्य है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 149/157 के खसरा न0 17/5 की कुल 2.0840हैक भूमि वादी के नाम से अंकित है के स्थान पर 2.336 हैक भूमि संशोधित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मनरूप पुत्र धनपत जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 356 सन 2021 निर्णय दिनांक– 26/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 149/157 के खसरा न0 17/5 की कुल 2.0840हैक भूमि वादी के नाम से अंकित है के स्थान पर 2.336 हैक भूमि अंकित/संशोधित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर